

फर्द अहमकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० / 20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	29.1.25	<p>पत्रावली फेंग हुई। वारी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वारी को आज न्यायालय में पृथक पृथक समक्ष पर तीन तीन बार सवाजे लगवायी गयी। सवाजे लगवाने के उपरांत भी वारी के न्यायालय में छापिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत धारा-9 नियम-37A0 210 के तहत अग्रिम छापरी व अग्रिम पेशी में स्थापित की जाती है। पत्रावली फिलहाल श्रुमार होकर नकर से काम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	